

अधिकारी - अका 2107
होने से प्रकरण दिनांक 10/07/24
को पेश हो।

(E)
रीडर

10.7.24
हुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी - अका राज कार्तिक
होने से प्रकरण दिनांक 10/07/24
को पेश हों।

आज्ञा से
(E)
रीडर

5.8.24
पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित हुई।
पत्रावली लम्बे समय ले बहस हेतु नियत हो। वादी पिछले
लम्बे समय से अनुपस्थित हैं। प्रतिवादी भी बाद तापिल उपस्थित
नहीं होने से न्यायालय द्वारा कब-कबकर कई बार आवाज लगावते
गए बावजूद उसके न्यायालय लगन लगाते तक कोई उपस्थित नहीं हुआ
जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा
नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः वादी अवाद अफेय व निम्न 8 के तहत अफय दायर
अफय पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय लेने इजलास हुनाय
शान्ति प्रकरण फैसल शुमा होकर नम्बर से कम है।

(रिया सबी)
IAS